

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर

ज्ञापन



क्रमांक B/3698/

जबलपुर दिनांक 24/सितम्बर 2020.

प्रति,

1/श्रीमति निति तिवारी (निजी सहायक) 2/ अर्पणा तिवारी (निजी सहायक) 3/श्रीमति अनुप्रिया शर्मा, (चौबे) (निजी सचिव) 4/शबाना अंसारी (निजी सहायक) 5/श्री अरविंद कुमार मिश्रा (निजी सचिव) 6/ श्री आशीष कुमार विश्वकर्मा ((निजी सहायक) 7/श्री संतोष कुमार कोरी (असिस्टेंट लाईब्रेरियन) 8/ श्री सौरभ रजक (जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट) 9/ श्री पुष्पेन्द्र पांडे (जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट) 10/श्री उमेश कुमार तिवारी (जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट) 11/श्री शुभांकर मिश्रा (डाटा एंट्री ऑपरेटर) 12/ श्री बाबर मिर्जा (जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट)


विषय:- शासकीय आवासगृह हेतु द्योषणा-पत्र प्रेषित किये जाने के सबध में।


—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि म. प्र. उच्च न्यायालय पूल के शंकरशाह नगर, जबलपुर स्थित "जी" एवं "एच" टाईप के कुछ शासकीय आवासगृह वर्तमान में रिक्त होने के कारण उक्त आवासगृहों को प्रतीक्षा सूची के अनुसार वरिष्ठता क्रम के आधार पर आवंटन किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि आपको शासकीय आवासगृह की आवश्यकता हो तो ज्ञापन के साथ संलग्न द्योषणा-पत्र के प्रारूप में जानकारी भरकर 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से कार्य एवं अधोसंरचना, अनुभाग, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को ई-मेल soworkshcjbpm@mp.gov.in में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। एवं यह भी निर्देशित किया जाता है कि, विहित अवधि के भीतर द्योषणा-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में उनकी वरिष्ठता से निचले क्रम के कर्मचारियों को आवास आवंटित किया जावेगा।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


24.09.2020
(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (कार्य/अधोसंरचना)



द्योषणा पत्र

मैं श्री / श्रीमति / कुमारी / सुश्री.....आत्मज
/ आत्मजा / पति..... उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर में
पदनाम.....(वेतनमान.....) के पद पर पदस्थ हूँ।

मैं सत्यनिष्ठा से द्योषणा करता / करती हूँ कि जबलपुर नगर निगम सीमा
के अंतर्गत मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम स्वयं का आवासगृह
उपलब्ध नहीं है (यदि आवासगृह उपलब्ध है तब विवरण प्रदान करें)।

विवरण:—.....

दिनांक:—

द्योषणाकर्ता के हस्ताक्षर.....

नाम:—.....

पदनाम:—.....

अनुभाग का नाम:—.....

.....0.....